ग्राम पंचायत कथौण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत कथौण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती पुष्पा देवी	01.04.13 से 22.1.16
2	श्री लाल मन	23.01.16 से 31.03.16

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री बलवीर सिंह	01.04.13 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत कथौण के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.25
2	8	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10.57
3	9	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय	0.40

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत कथौण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 25.11.2016 से 01.12.2016 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2013–14	04/2013	01/2014
2014–15	01/2015	06/2014
2015–16	12/2015	09/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत कथौण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01.04.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 166/2016 दिनांक 01.12.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत कथौण से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत कथौण द्वारा उपलब्ध सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(क) स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान

वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्ति (₹)			व्यय (₹)		
		स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वस्त्रोत	विभिन्न अनुदान	अन्तिम शेष (₹)
2013–14	877223.65	89606	693104	1659933.65	12762	418449	1228722.65
2014–15	1228722.65	105591	587340	1921653.65	18173	355928	1547552.65
2015–16	1547552.65	303597	884852	2736001.65	11473	651749	2072779.65

	दिनांक 31.3.2016 को अन्तशेष रोकड़ बही अनुसार			₹2072779.65
(i)	बचत खाता संख्या 31510100007	₹2051596.70	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक लड़भड़ोल	
(ii)	बचत खाता संख्या 31510105465	₹20749	–यथोपरि–	
	हस्तगत राशि	₹434		
	योग	**₹2072779.65**		

(ख) मनरेगा

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2013–14	154532.04	1684535	1839067.04	1799045	40022.4
2014–15	40022.04	1117252	1157274.04	1152756	4518.4
2015–16	4518.04	365168	369686.04	367220	2466.4

दिनांक 31.03.2016 को अन्तिम शेष

रोकड़ बही अनुसार ₹2466.04

बचत खाता अनुसार ₹24660.04

हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल खाता संख्या 3151010027

(ग) वाटर शैड (IWMP)

वर्ष	**अथशेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2013–14	485383	120206	605589	523689	81900
2014–15	81900	88055	169955	99750	70205
2015–16	70205	2843	73048	0	73048

दिनांक 31.03.2016 को अन्त शेष

रोकड़ बही अनुसार ₹73048

बचत खाते अनुसार ₹73048

(हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक, लड़भड़ोल खाता संख्या 31510109171)

नोटः– ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट 1 से 3** में दिया गया है।

5 रोकड़ बहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़ बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोंकड़ वही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्धान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त

एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है, किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2013 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़ बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2013–14 को अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़ बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

ग्राम पंचायत कथौण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–5"** अनुसार दिनांक 31.3.2016 को ₹24880 की राशि गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष थी, किन्तु पंचायत द्वारा गृहकर से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का उचित रख रखाव न किये जाने के कारण पंचायत द्वारा गृहकर के रूप में दिनांक 01.04.2013 को वित्तीय राशि लम्बित थी एवं अंकेक्षण अवधि में कितनी गृहकर की माँग पंचायत द्वारा वर्षवार की गई से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं

करवाई गई, जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना पंचायत अभिलेख अनुसार सही है अथवा नहीं?

पंचायत द्वारा गृहकर से सम्बन्धित माँग एवं संग्रहण रजिस्टर का उचित एवं नियमानुसार रख रखाव न करना अनियमित एवं आपत्तिजनक है, जिस बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये उक्त अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2013 को गृहकर के रूप में लम्बित राशि, वर्षवार माँग एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेख भी पूर्ण कर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ताकि उसकी तदानुसार जाँच की जा सके।

8 अनुदान ₹10.57 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–4** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1056995.04 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 प्राप्त अनुदान से ₹0.40 लाख का अधिक व्यय करनाः–

ग्राम पंचायत कथौण द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट–4"** अनुसार पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक ₹39938 का व्यय प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक विभिन्न मदों में कर दिया गया था। पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान राशि की शर्तों अनुसार व्यय को प्राप्त अनुदान राशि तक ही सीमित किया जाना अपेक्षित था एवं प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय अनियमित व आपत्तिजनक है, जिस बारे में सम्पूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये यह भी सूचित किया जाए कि पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि किस मद से की गई है।

इसके अतिरिक्त अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित विभाग से उठाकर इसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

10 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/— व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में लाखों रूपये की राशि का व्यय विभिन्न विकासात्मक कार्यों में किया गया है, किन्तु इन समस्त निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जांच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों पर व्यय की गई यह राशि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर व्यय की गई इन समस्त राशियों के प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किये जाएं ताकि इन समस्त व्ययों `की तदानुसार जाँच की जा सके।

11 निर्माण कार्यः सराय नजदीक महामलेश्वर मन्दिर, पंजालग में अधिक भुगतान की गई ₹475 की वसूली अंकेक्षण के दौरान करवाये जाने के सन्दर्भ में:—

ग्राम पंचायत द्वारा ₹36150 का भुगतान निर्माण कार्यः सरांय नजदीक महामलेश्वर मन्दिर पंजालग, हेतु निम्न विवरणानुसार किया गया थाः—

वा0सं0	दिनांक	फर्म का विवरण	बिल सं0	दिनांक	राशि	क्रय सामान का विवरण
85	08.01.14	मै0 सरिता फर्नीचर एवं जोयनिंग शॉप, पंजालग	015	30.12.13	19375	लकड़ी के खिड़की दरवाजे आदि
86	08.01.14	—यथोपरि—	016	30.12.13	16775	—यथोपरि—
				योग	**36150**	

जाँच में पाया गया कि फर्म द्वारा निविदा में खिड़की पल्ला 28"x16" की दर ₹900 प्रति खिड़की दी गई थी, किन्तु बिल में यह दर ₹950 प्रति खिड़की से भुगतान प्राप्त किया गया था।

G.P.Kathaun

इसी प्रकार खिड़की 35"X10" एवं 19"X13" की दर भी बिल में निविदा दर से अधिक दर्शाकर उपरोक्त वर्णित बिलों में कुल ₹475 का अधिक भुगतान दर्शाया गया था एवं इसी दर से भुगतान प्राप्त किया गया था। अंकेक्षण द्वारा इस सन्दर्भ में आपत्ति उठाये जाने पर पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से करने उपरान्त रसीद संख्या 009884 दिनांक 01.12.2016 द्वारा जमा करवा दी गई है।

यद्यपि उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित फर्म से कर ली गई है तथापि भविष्य में इस तरह की अधिक भुगतान की पुनरावृति न हो इसके लिए आन्तरिक जाँच को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	गैर खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से भिन्न खपने वाली वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 18/2017—खण्ड—1—2720—2723 दिनाँक : 17.05.2017
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत कथौण, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड चौंतड़ा, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046